Apply for Non-Resident Samagra ID User Manual

अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी हेतु आवेदन संबंधित मैनुअल

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (MPSEDC) द्वारा विकसित

Samagra

अन्य राज्य के निवासी द्वारा समग्र आईडी आवेदन संबंधित प्रक्रिया :

1. यह सुविधा केवल मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए है, सिस्टम द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के रूप में व्यक्ति की पहचान आधार में दर्ज प्रदेश/राज्य के नाम से होगी |
2. समग्र पोर्टल पर अन्य राज्य के निवासी ,जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासरत है,निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी हेतु आवेदन किया जा सकता हैं।
3. अन्य राज्य के निवासी निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
    a. म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
    b. रोज़गार संबंधी
    c. रोज़गार पंजीयन हेतु
    d. बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
    e. पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
    f. ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
    g. जाति प्रमाण पत्र हेतु
    h. भूमि संबंधी लेन देन
    i. भू-अभिलेख सम्बन्धी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

Samagra

विस्तृत प्रक्रिया

1. आवेदक को समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in) पर जाना होगा,और **अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें** पर क्लिक करना होगा।

2. अन्य राज्य के निवासी निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

   a. म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
   b. रोज़गार संबंधी
   c. रोज़गार पंजीयन हेतु
   d. बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
   e. पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
   f. ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
   g. जाति प्रमाण पत्र हेतु
   h. भूमि संबंधी लेन देन
   i. भू-अभिलेख सम्बन्धी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

3. आवेदक द्वारा निर्देशों को पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक कर,बटन **ठीक है** पर क्लिक करना होगा|

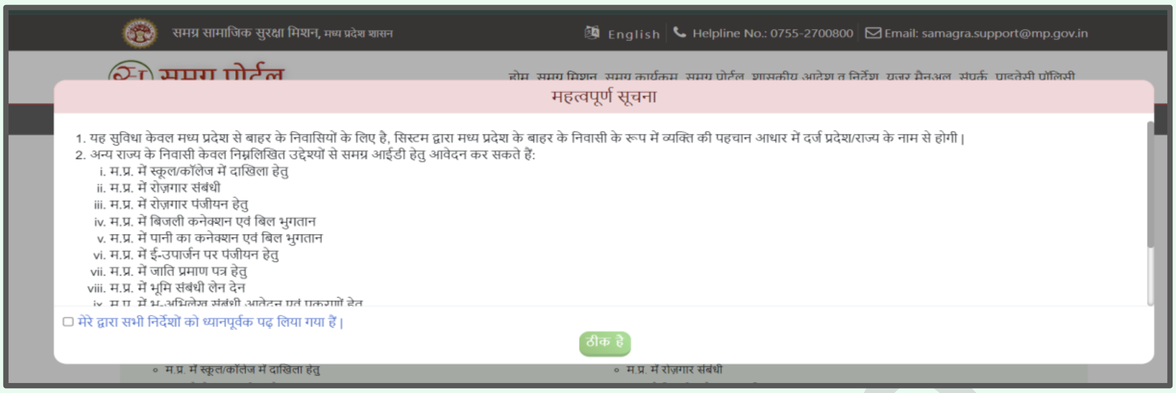

4. आवेदक को अपना मोबाईल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होगा|

5. आवेदक द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

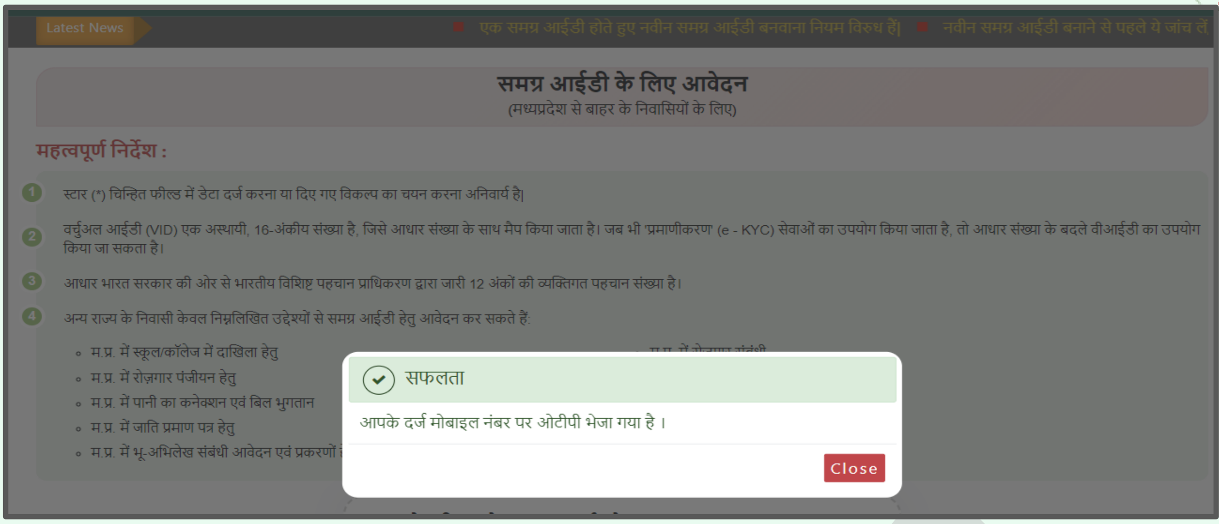

6. ओटीपी दर्ज कर,"**ओटीपी सत्यापित करें"** पर क्लिक करना होगा ,यदि 60 सेकंड में आपके मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदक Resend ओटीपी पर क्लिक कर पुनः प्राप्त किया जा सकता हैं।

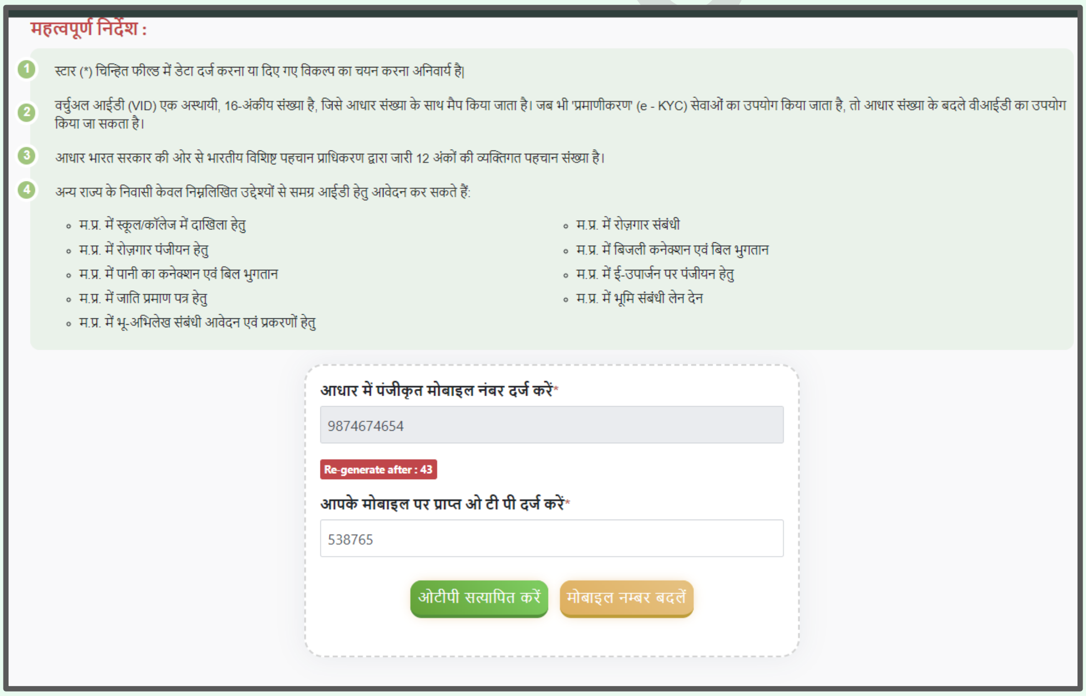

7. आवेदक को समग्र आईडी बनाने के लिए उदेश्य का चयन कर, अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा एवं आवेदक द्वारा किसी एक विकल्प का चयन कर अपना ई केवाईसी सत्यापित किया जा सकता हैं।

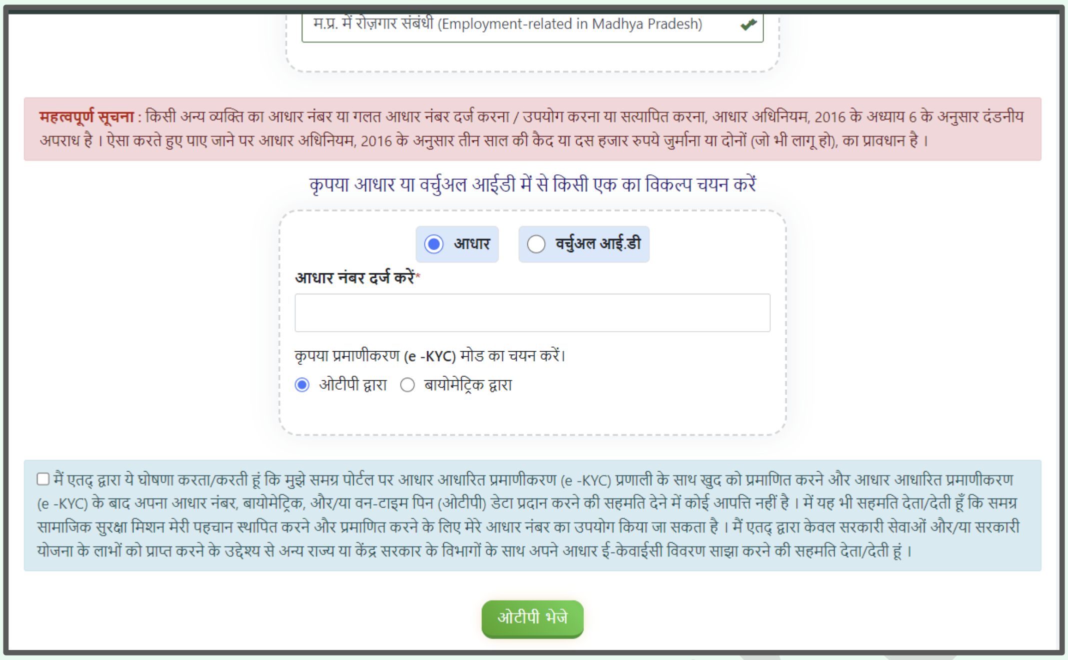

8. आवेदक द्वारा ई-केवाईसी 2 विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है ।

- ओटीपी द्वारा
- बायोमेट्रिक द्वारा

9. ओटीपी विकल्प चयन करने पर ,आधार से रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

10. आवेदक की आधार से प्राप्त जानकारी स्वतः ही स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी ।

- नाम
- जन्मदिनांक
- लिंग

- आवेदक का आधार से प्राप्त फोटो
- अभिभावक का नाम
- राज्य
- जिला
- पता
- पिन कोड

11. आवेदक को निम्न जानकारी भरना अनिवार्य होगा ।
    - पिता जी का नाम/माता जी का नाम
    - पति /पत्नी का नाम
    - वैवाहिक स्थिति
    - ईमेल आईडी

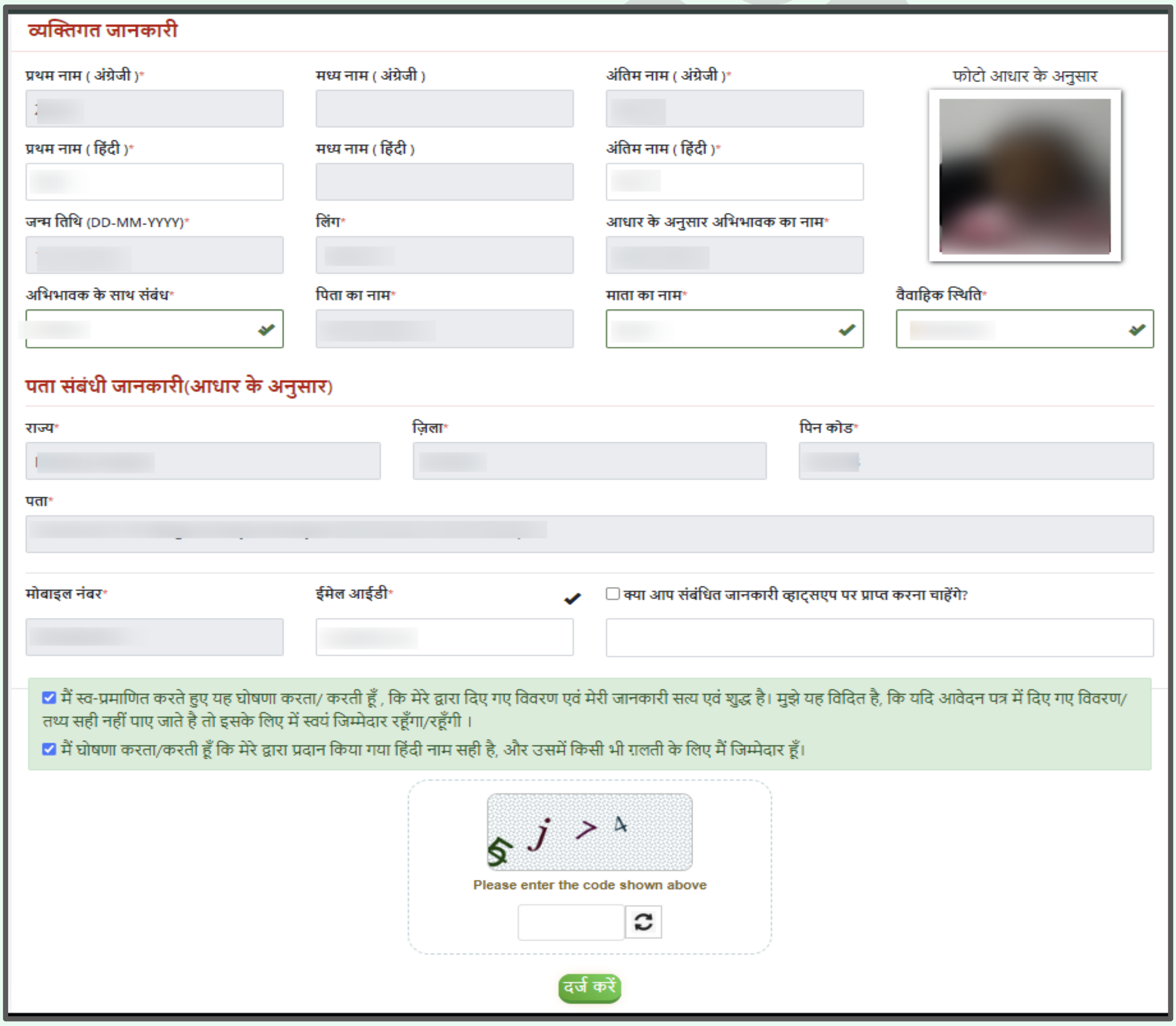

12. जन्म दिनांक आधार में सत्यापित होना अनिवार्य हैं,सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदक समग्र आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आवेदक को आधार में जन्मदिनांक सत्यापित कराना होगा।

13. समस्त जानकारी के उपरांत, घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक कर, आवेदन दर्ज करने पर अन्य राज्य के निवासी को समग्र आईडी प्रदान की जाएगी।

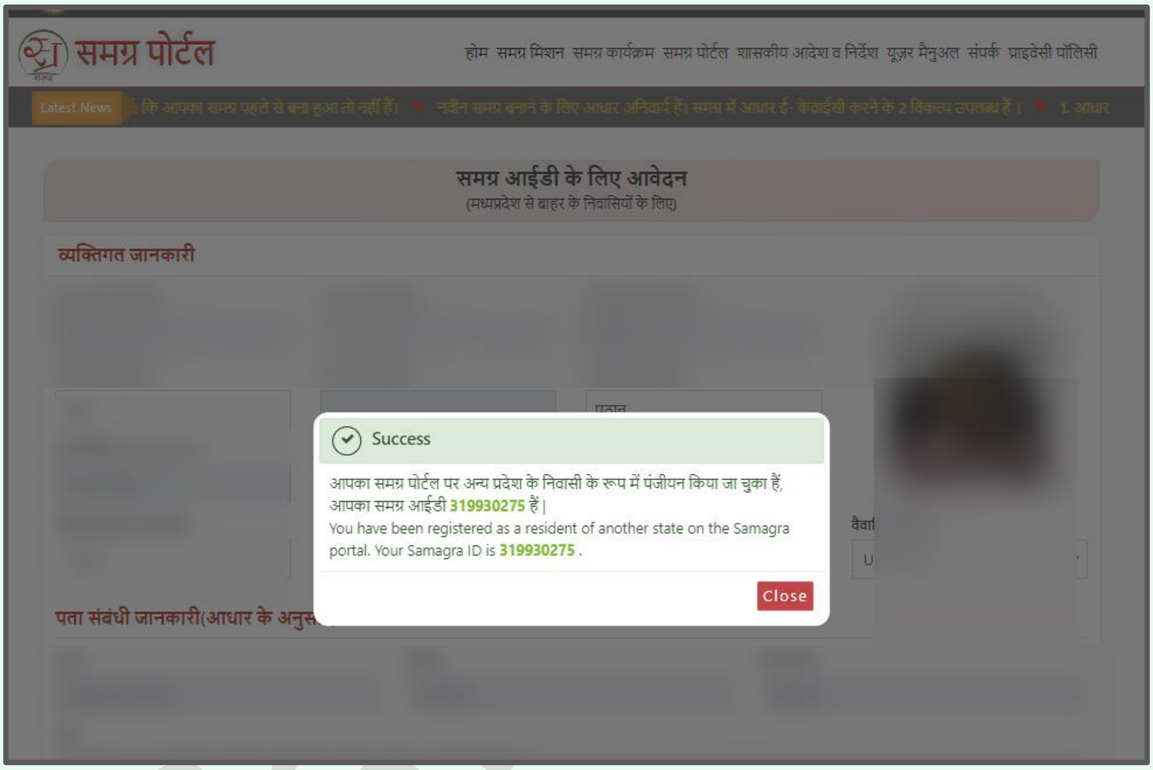

14. आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी एवं आवेदक द्वारा समग्र पोर्टल पर अपना समग्र कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।